भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2841

उत्तर देने की तारीख 12 अगस्त, 2026

बुधवार, 21 श्रावण, 1948 (शक)

स्किलिंग सेंटर डेटाबेस-समन्वय को बेहतर बनाना

2841. श्री संजय कुमार झा:

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने यह माना है कि भारत के कौशल विकास पारितंत्र में सरकार, उद्योग जगत, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की पहलों और निजी संस्थानों द्वारा अलग से चलाए जा रहे प्रशिक्षण केंद्र शामिल हैं जिनमें जानकारी साझा करने और समन्वय को बेहतर बनाने की गुंजाइश है;

(ख) क्या भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने यह पाया है कि 22 मंत्रालयों के तहत सात एमएसडीई योजनाएं और 35 कार्यक्रम समानांतर रूप से चल रहे थे, जिसके कारण स्किलिंग केंद्रों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करने की ज़रूरत महसूस हुई; और

(ग) इस डेटाबेस को पूरा करने की समय-सीमा क्या है और अंतर-मन्त्रालयी समन्वय बनाए रखना तथा भविष्य में दोहराव से बचना सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित संस्थागत तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (सिम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों इत्यादि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से और शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशलीकरण, पुनर्कौशलीकरण और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उन्हें उद्योग से संबंधित कौशलों से सुसज्जित करना है।

कौशल विकास प्रशिक्षण इकोसिस्टम में सरकारी संस्थान, राज्य सरकार के विश्वविद्यालय/कॉलेज, एआईसीटीई से संबद्ध संस्थाएं, आईटीआई, राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम), क्षेत्र कौशल परिषदें (एसएससी), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) और अन्य प्रशिक्षण भागीदार शामिल हैं। इसके अलावा, एमएसडीई की योजनाएं मांग पर आधारित हैं, और इन योजनाओं के तहत प्रशिक्षण केंद्र आवश्यकता के आधार पर स्थापित या अनुबंधित किए जाते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की वर्ष 2025 की रिपोर्ट संख्या 20 के अध्याय 1, पैरा 1.1 के अनुसार, जुलाई 2024 में कौशल इकोसिस्टम में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की सात कौशल विकास स्कीमें, 22 केंद्रीय मंत्रालयों के 35 कौशल विकास कार्यक्रम और 23 राज्यों की 95 कौशल विकास स्कीमें शामिल थीं।

विभिन्न प्रकार की कौशलीकरण स्कीमों के लिए एक सक्षम शासन ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से, एमएसडीई ने केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जाने वाली कौशलीकरण पहलों के अभिसरण को सुगम बनाने के लिए विभिन्न नीतिगत, परिचालनगत और डिजिटल पहलें की हैं। इन उपायों में सभी अल्पकालिक प्रशिक्षणों (शॉर्ट-टर्म ट्रेनिंग) के लिए सामान्य लागत मानदंडों को अपनाना, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएसक्यूएफ़) के अनुरूप पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) के माध्यम से नियामक निरीक्षण और प्रौद्योगिकी-सक्षम निगरानी तंत्र शामिल हैं।

मंत्रालय ने एमएसडीई के अंतर्गत कौशलीकरण इकोसिस्टम के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) विकसित किया है। सिद्ध संपूर्ण कौशलीकरण इकोसिस्टम को एक एकीकृत प्लेटफॉर्म पर लाता है, जिसमें प्रशिक्षण, मूल्यांकन, प्रमाणन, रोजगार और उद्यमिता सेवाओं को एकीकृत किया गया है, साथ ही प्रशिक्षण प्रदाताओं, नियोक्ताओं और सरकारी योजनाओं को एक सामान्य अंतरसंचालनीय इकोसिस्टम में शामिल होने की सुविधा प्रदान करता है। मोबाइल-प्रथम दृष्टिकोण पर निर्मित और राष्ट्रीय करियर सेवा, ईश्रम, डिजिलॉकर और भाषिनी जैसे अन्य सरकारी प्लेटफार्मों के साथ अंतरसंचालनीय, सिद्ध सरकार के एकीकृत, सर्वसुलभ नागरिक-केंद्रित कौशलीकरण इकोसिस्टम के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है।
